



59  
2019

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रतन कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 353 अग्रसेन नगर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मुत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री रतन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 353 अग्रसेन नगर जिला श्रीगंगानगर ने वसीयत दिनांक 26.03.2018 को करवाई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 06.07.2019 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 26.03.2018 को करवायी गयी बंद वसीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान श्री नन्द लाल पुत्र श्री हरी कृष्ण एवं श्री गुलशन पुत्र श्री गोविन्द राम ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश चोपडा श्रीगंगानगर द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

जिला पंजीयक महोदय

दरअसल अग्रवाल

26/12/19